



क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर-10, योजना संख्या-3, झुंसी, प्रयागराज - 221506
Avas Vikas Parishad Colony, Sector-10, Scheme No. 3, Jhansi, Prayagraj.

roprayagraj@uppcb.in

संदर्भ सं०.....(00995) 528 of 2023 | 2024

दिनांक.....02/02/2024

To,

E-Mail/Registered Post

The Registrar,
The National Green Tribunal
Principal Bench,
New Delhi
E-Mail:- judicial-ngt@gov.in

Subject:- Compliance of direction issued by Hon'ble National Green Tribunal in O.A No. 528/2023, In re: news report published in Dainik Jagran dated 14.08.2023 "highlights a growing concern regarding industrial pollution in the Godhrauli village" in order dated 21-08-2023.

Sir,

With reference to the subject mentioned above, this is to inform you that in compliance of order issued on dated 21-08-2023 by Hon'ble National Green Tribunal in O.A No. 528/2023, In re: News report published in Dainik Jagran dated 14.08.2023 "highlights a growing concern regarding industrial pollution in the Godhrauli village" in order dated 21-08-2023. The compliance report is submitted for your kind perusal and necessary action please.

Encl:-As Above.

Your Sincerely

(R. K. Singh)

Regional Officer

Copy to:-

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.
2. District Magistrate, Fatehpur for information.
3. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.
4. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.
5. Sri Pradeep Misra, Advocate on Record, Hon'ble Supreme Court/NGT, B-235, Sector-19, Noida, for perusal and necessary action please.

Regional Officer

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दायर ओ०ए० सं० 528/2023 के संदर्भ में		
अनुक्रमणिका		
क्र०सं०	विवरण	पृष्ठ सं०
1	संयुक्त निरीक्षण आख्या	1-7
2	ओ०ए० सं० 528/2023 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 21.08.2023 (संलग्नक-1)	8-11
3	कमेटी के सदस्यों को संयुक्त निरीक्षण किये जाने हेतु प्रतिनिधि नामित करने हेतु पत्र (संलग्नक-2)	12
4	ग्राम पंचायत, गुधरौली विकास खण्ड मलवाँ फतेहपुर में स्थापित 11 हैण्डपम्पों की विश्लेषण आख्या (संलग्नक-3)	13-23
5	क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज के पत्र सं० जी०००८६४/सा-२७०/२०२४ दिनांक ०६.०१.२०२४ द्वारा प्रेषित नोटिस (संलग्नक-४)	24
6	उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के पत्र दिनांक २९.०१.२०२४ के माध्यम से उपरोक्त चारों इकाईयों को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस (संलग्नक-५)	25-32
7	अपर निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र० लखनऊ द्वारा प्रेषित पत्र सं० रा०स्वा०सं०/एनजीटी/२०२३-२४/८४६२-६५ दिनांक ०१.०२.२०२४ (संलग्नक-६)	33-34

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0 528 / 2023 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 21.08.2023 के अनुपालन में संयुक्त टीम द्वारा की गयी अन्तरिम निरीक्षण आख्या

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0 528 / 2023 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 21.08.2023 (संलग्नक-1) के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज द्वारा पत्र सं0 जी00817 / ओ0ए0 सं0 528 / 2023 दिनांक 27.12.2023 (संलग्नक-2) द्वारा कमेटी के सदस्यों को संयुक्त निरीक्षण किये जाने हेतु प्रतिनिधि नामित करने हेतु सूचित किया गया था, परन्तु केन्द्रीय भू-गर्भ जल बोर्ड, लखनऊ तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय एवं क्षेत्रीय निदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, लखनऊ के अतिरिक्त अन्य कमेटी के सदस्यों जैसे कि निदेशक, राज्य भूगर्भ जल विभाग उ0प्र0 लखनऊ एवं महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लखनऊ द्वारा प्रतिनिधि नामित नहीं किया गया।

तदनुसार माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0 528 / 2023 में पारित आदेश दिनांक 21.08.2023 के अनुपालन में जनपद फतेहपुर स्थित गाँव गुधरौली का दिनांक 24.01.2024 को उक्त आदेश में गठित समिति के निम्न सदस्यों द्वारा निरीक्षण किया गया।

1. आर0के0 सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।
2. डॉ0 डी0के0 सोनी, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ।
3. श्रीमती रिचा गौतम, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, लखनऊ।

कमेटी के तीन सदस्यों द्वारा किये गये संयुक्त स्थलीय निरीक्षण, स्थानीय ग्रामीणों से प्राप्त सूचना एवं दृष्टिगोचर हुए तथ्यों के आधार पर आख्या निम्नवत् है:-

(अ) स्थलीय निरीक्षण

- ग्राम गुधरौली में माँ शीतला मन्दिर के आसपास एवं सड़कों के दोनों तरफ परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट डम्प किया गया पाया गया। ग्रामीणों से पूछताछ

में यह संज्ञान मे आया कि कई वर्षों पूर्व से कुछ औद्योगिक इकाईयों द्वारा औद्योगिक इकाई से जनित परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट को गाँव में एवं इसके आसपास गड्ढों में भरा जाता था।



फोटो-1 एकत्र ठोस अपशिष्ट

- गुधरौली से बनियन खेड़ा जाने वाली सड़क तथा रेलवे कासिंग के आसपास खेतों में भी परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट डम्प पाया गया।




फोटो-2 एकत्र ठोस अपशिष्ट



फोटो-3 खेतों में एकत्र ठोस अपशिष्ट

- निरीक्षण के समय स्थानीय हैण्डपम्पों की जाँच की गयी, जिसमें पानी संकमित पाया गया तथा उन हैण्ड पम्पों को स्थानीय निकाय के अधिकारियों द्वारा सील कर दिया गया एवं पानी की उपलब्धता हेतु पानी के टैंकरों एवं पाईप लाइन की व्यवस्था की गयी।




फोटो-4 पेयजल आपूर्ति हेतु टैंकर



फोटो-5 पेयजल आपूर्ति हेतु पाईप लाइन



फोटो-6 सील किया गया संकमित हैण्ड पम्प



फोटो-7 सील किया गया संकमित हैण्ड पम्प

- निरीक्षण के समय कुछ ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया कि कई वर्षों से परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट डम्प होने के बावजूद कई ग्रामीणों द्वारा उसके ऊपर अपने घर भी बनवा लिये गये हैं।

(ब) स्थानीय निकायों द्वारा कार्यवाही

- पूर्व में दिनांक 04.01.2024 को जिलाधिकारी महोदया, फतेहपुर प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए खण्ड विकास अधिकारी, मलवाँ, फतेहपुर, जल निगम, फतेहपुर, ग्राम प्रधान, गुधरौली की उपस्थिति में ग्राम पंचायत, गुधरौली विकास खण्ड मलवाँ फतेहपुर में स्थापित 11 हैण्डपम्पों (संलग्नक-3) से जल नमूना एकत्र कर क्रोमियम की जाँच की, जिनका विवरण निम्नवत् है :-
 1. हैण्ड पम्प निकट, श्री राम प्रसाद पुत्र श्री सियाशरन के घर के पास।
 2. हैण्ड पम्प निकट, श्री देव नारायण पुत्र श्री मिख्बू के घर के पास।
 3. हैण्ड पम्प निकट, श्री सरवन पुत्र श्री पिंगल के घर के पास।
 4. हैण्ड पम्प निकट, श्री हरि मोहन पुत्र श्री उदय नारायण के घर के पास।
 5. हैण्ड पम्प निकट, श्री पृथ्वी पाल पुत्र श्री झब्बू के घर के पास।
 6. हैण्ड पम्प निकट, श्रीमती राम दुलारी पत्नी श्री जंग बहादुर के घर के पास।
 7. हैण्ड पम्प निकट, श्री राम पुत्र श्री भदाई के घर के पास।
 8. हैण्ड पम्प निकट, श्री प्रकाश पुत्र श्री सउनी के घर के पास।
 9. हैण्ड पम्प निकट, बुढया तालाब के पास।
 10. हैण्ड पम्प निकट, शीतला माता मंदिर के पास।
 11. हैण्ड पम्प निकट, श्री अजय शुक्ला पुत्र श्री राम कुमार शुक्ला के घर के पास।

उक्त 11 हैण्ड पम्पों को स्थानीय प्रशासन तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। इस संभावना से कि इन हैण्ड पम्पों में क्रोमियम की मात्रा पायी जा सकती है।
- उपरोक्त एकत्रित जल नमूनों का विश्लेषण बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा किया गया, जिसमें क्रम सं0 2, 4, 5, 6, 10 एवं 11 के हैण्ड पम्प के जल नमूनों में क्रोमियम की मात्रा निर्धारित मानक 0.05 मिग्रा प्रति लीटर से अधिक पायी गयी।

- श्री रविन्दर कुमार, ग्राम प्रधान गुधरौली फतेहपुर द्वारा अवगत कराया गया कि कोमियम से संकमित हैण्ड पम्प जल निगम द्वारा सील कर दिये गये हैं तथा ग्रामवासियों के पीने पानी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था हेतु पाईप लाईन के माध्यम से तथा पानी के तीन टैंकरों से आपूर्ति की जा रही है। निरीक्षण के समय गाँव में नल एवं पानी के टैंकर स्थापित पाये गये। (संलग्नक फोटो-4)
- तदोपरांत रिथति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए बेसिक कोम सल्फेट का उत्पादन करने वाली इकाईयों मेसर्स मधुचन्द्रा टेक्नोकेम चौडगरा, फतेहपुर, मेसर्स एसोशिएट्स केमिकल्स वर्क्स रहसूपुर, फतेहपुर, मेसर्स आशियाना केमिकल्स, रहसूपुर, फतेहपुर एवं मेसर्स आशमा केमिकल्स, रहसूपुर, फतेहपुर, को क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज के पत्र सं० जी०००८६४/सा-२७०/२०२४ दिनांक ०६.०१.२०२४ (संलग्नक-४) के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया गया। तत्कम में बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के पत्र दिनांक २९.०१.२०२४ (संलग्नक-५) के माध्यम से उपरोक्त चारों इकाईयों को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया।
- ग्राम गुधरौली ब्लाक मलवां जनपद फतेहपुर के ग्रामवासियों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा जाँच से संबंधित अपर निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र० लखनऊ द्वारा प्रेषित पत्र सं० रा०स्वा०सं०/एनजीटी/२०२३-२४/८४६२-६५ दिनांक ०१.०२.२०२४ (संलग्नक-६) के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी आख्या संदर्भ हेतु संलग्न है।

(स) संस्तुति

1. प्रश्नगत ग्राम में एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के ठोस अपशिष्ट का जमा होना पाया गया है। अतः इनकी विस्तृत जाँच की आवश्यकता है। इस प्रकार के अपशिष्ट को फेंकने वालों को चिन्हित करना भी अनिवार्य है। ताकि अग्रतर कार्यवाही की जा सके। एकत्रित परिसंकटमय अपशिष्ट को शीघ्रातिशीघ्र टीएसडीएफ साईट पर भेजने की उचित कार्यवाही करने हेतु प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु संबंधित विभाग को

- निर्देशित किया जाए। भविष्य में किसी प्रकार के ठोस अपशिष्ट को इस क्षेत्र में डम्प न किये जाने हेतु संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाए।
2. प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह विचार किया जाना उचित होगा कि इस प्रकरण की जाँच के अध्ययन हेतु विषय विशेषज्ञों की आवश्यकता है, जिसमें नीरी, नागपुर, आई.आई.टी. कानपुर जी0एस0आई0 एवं अन्य उपयुक्त विषय विशेषज्ञों को शामिल किया जाना उचित होगा। जो भूजल के विभिन्न स्तरों पर एवं जमीनी परतों (सम्भावित गहराईयों तक) के नमूनों की विस्तृत जाँच कर उपयुक्त तकनीकों द्वारा भूजल के शुद्धिकरण हेतु तकनीक एवं सुझाव प्रस्तावित करें।
 3. चूँकि परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण एवं इस क्षेत्र में इसके आसपास पिछले कई वर्षों के दौरान होता रहा है इसके गंभीर दुष्प्रभाव होने की आशंका है। पर्यावरणीय प्रभाव के विस्तृत आकलन, कार्य योजना बनाने एवं उसके क्रियान्वयन हेतु समय लगने की संभावना के दृष्टिगत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली से निवेदन है कि इस प्रकरण में कम से कम छः माह का समय देने की महती कृपा करें।


 (श्रीमती रिचा गौतम)
 वैज्ञानिक 'ख'
 केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड,
 लखनऊ।


 (आर0के0 सिंह)
 क्षेत्रीय अधिकारी
 क्षेत्रीय कार्यालय
 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
 प्रयागराज।


 (डॉ0 डी0के0 सोनी)
 क्षेत्रीय निदेशक
 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
 क्षेत्रीय निदेशालय,
 लखनऊ।

Item No. 05

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 528/2023

In re: news report published in **Dainik Jagran dated 14.08.2023**
"highlights a growing concern regarding industrial pollution in
the Godhrauli village"

Date of hearing: 21.08.2023

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

ORDER

1. The matter was taken up by this Tribunal on a News Report dated 14.08.2023 published in Dainik Jagran, Kanpur which highlighted a growing concern regarding industrial pollution in the Godhrauli village. The pollution stems from the discharge of chromium into the groundwater by industrial units, severally impacting the water sources in the area.

2. The issue of pollution by chromium contaminated water of Godhrauli village of Malwan block which is situated nearby the Kanpur - Prayagraj highway has also put eight other neighboring villages namely, Aung, Baniyan Khera, Rawatpur, Rampur, Pahur, Shukla Nagar, Akbar Khera, Kchakpur - Gadi, Housing a population of over 20,000 people at risk. The infiltration of chromium into the groundwater has reached alarming depths of 150-200 feet in the village, necessitating the use of water tankers to meet the community's water needs.

3. Moreover, a significant concern arises regarding the potential contamination of crops by the chromium-laden groundwater. The

villagers are worried about the safety of crops. It has come to light that factories are recklessly discharging untreated effluents into the ground through boreholes. Villagers are frustrated due to inaction of authorities in pollution control of such factories.

4. As per the statement of SDM, Bindki, Sh. Manish Kumar (news report), it is stated that no report of pollution has been received. Water from a few handpumps has a yellow hue, for which the villagers are being cautioned against consuming. Services of water tankers is being provided in the area and officials of pollution control department have been informed. Adding to the severity of the situation is the compromised state of the Gram Samuh Peyajal Yojana, which caters to 40% of Godhruauli village. The water supply infrastructure's weakness necessitates the administration's intervention through water tanker deliveries. The news report highlights the pressing need for immediate and comprehensive action by relevant authorities to address the escalating pollution crisis caused by the discharge of chromium into the groundwater in the region, safeguarding both water sources and the well-being of the affected communities.

5. The effect of the chromium on human health was considered by this Tribunal vide order dated 15.11.2019 in OA No. 985/2019, *In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh* and it was observed that:

"11. ... Chromium is considered to be an environmentally hazardous element and classified as class-A human carcinogen.¹ Hexavalent Chromium Cr (VI) is toxic and the World Health Organization (WHO) has classified it as carcinogenic and can cause stomach ulcers and cancers and severe damage to kidneys and liver²."

¹ <http://www.isca.in/rjcs/Archives/v7/i7/7.%20ISCA-RJCS-2017-024.pdf>

² https://www.who.int/water_sanitation_health/waterquality/guidelines/chemicals/chromium.pdf?ua=1

6. In view of the above, following steps are required to be taken by the statutory authorities:

- i. Assess the ground water quality of the villages in question.
- ii. Ascertain the cause of ground water contamination and the reasons including ignoring the cause.
- iii. Actions taken against defaulting agencies – industries and other.
- iv. Reporting on ill health effects on villagers/agriculture, if any.
- v. Medical facilities/test by medical camp in the villages.
- vi. Availability of drinking water in the affected areas, persons, family/villagers.
- vii. Inspection of the industrial unit and the investigation of reverse boring as reported and taking further necessary punitive legal actions.
- viii. Remedial action taken and to be taken.

7. In the light of above, we deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of:-

- i. Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
- ii. Regional Director, Central Pollution Control Board (CPCB).
- iii. One representative from State Ground Water Authority (SGWA).
- iv. One representative from Central Ground Water Authority (CGWA).
- v. One representative from State Health/Health Engineering Department.

- vi. One representative from State Pollution Control Board (SPCB).
8. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within two months. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.
9. The Committee is further directed to
- (i) examine the ground water profile in terms of chromium in the areas under question and taking action for installation of pilot project on chromium removal by nano-filtration or other available methods.
 - (ii) Execution of plan with timelines on ground water remediation.
 - (iii) Taking action as per para 6 above including treatment of chromium and submit report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.
10. List the matter for further consideration on 29.11.2023 alongwith OA No. 985/2019.
11. A copy of this order be forwarded to MoEF&CC, CPCB, SGWA, CGWA, State Health/Health Engineering Department and State PCB by e-mail for compliance.

Sheo Kumar Singh, CP

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

August 21, 2023
Original Application No. 528/2023
DV

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आवारा विकास परिषद कालोनी, सेक्टर-10, योजना संख्या-3, झूसी, प्रयागराज - 221506
Email-roprayagraj@uppcb.in

संदर्भ सं० 600812 / 6A/RO/508/2023

दिनांक 27/12/2023

सेवा में

1. क्षेत्रीय निदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण, उत्तरी क्षेत्र, भूजल भवन, सेक्टर-बी, सीतापुर रोड योजना, राम राम बैंक चौराहा, लखनऊ-226021
4. निदेशक, राज्य भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र०, ग्राम-हरिहरपुर, दिल्ली पब्लिक स्कूल शहीद पथ, लखनऊ-226002
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

विषय: मा० एन०जी०टी० में दायर ओ०ए० सं० 528/2023 में पारित आदेश दिनांक 21.08.2023 के सम्बन्ध में। महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आप अवगत ही हैं कि दैनिक जागरण समाचार पत्र में दिनांक 14.08.2023 में प्रकाशित शीर्षक "highlights a growing concern regarding industrial pollution in the Godhrauli village." जिसे मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं० 528/2023 के रूप में दर्ज किया गया है। उक्त ओ०ए० में पारित आदेश दिनांक 21.08.2023 (छायाप्रति संलग्न) जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है:-

In view of the above, following steps are required to be taken by the statutory authorities:

- i. Assess the ground water quality of the villages in question.
- ii. Ascertain the cause of ground water contamination and the reasons including ignoring the cause.
- iii. Actions taken against defaulting agencies – industries and other.
- iv. Reporting on ill health effects on villagers/agriculture, if any.
- v. Medical facilities/test by medical camp in the villages.
- vi. Availability of drinking water in the affected areas, persons, family/villagers.
- vii. Inspection of the industrial unit and the investigation of reverse boring as reported and taking further necessary punitive legal actions.
- viii. Remedial action taken and to be taken.

मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण हेतु कृपया प्रतिनिधि नामित करने के साथ-साथ सुविधानुसार निरीक्षण तिथि के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को Email-roprayagraj@uppcb.in एवं मो० 9760562020 पर अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे ससमय मा० एन०जी०टी० में अनुपालन आख्या प्रेषित की जा सके। यह भी अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकरण में सुनवाई की अग्रिम तिथि दिनांक 06.02.2024 नियत है।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

27/12/23

(आर०के० सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

- प्रतिलिपि: 1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य विधि अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

27/12/23

क्षेत्रीय अधिकारी



CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT: WATER LABORATORY(GROUND WATER)

Ref No:24295568/CENTRAL/2024

Date:23/01/2024

1-Sample Location:Ramprasad Near Dr Siyasaran House (Sample No 1)

2-Address:Gudhrauli Fatehpur

3-District:Fatehpur

4-Sample Source:Handpump

5-Type of sample: Ground Water

6-Sample Collected By: Committee formed by DM

7-Odour: None

8-Quantity and Packing: Digested Sample in Plastic Bottle

9-Date of Sample Collection: 04/01/2024

10-Analysis Indented by: RO Allahabad

11-Date of sample receipt in Lab: 08/01/2024

Parameter	Unit	Standards Source: IS 10500:2012(2nd Rev.) Required Acceptable Limit	Results	Detection Range
Total Chromium, APHA 24th Ed. 3111-B: 2023	mg/l	0.05	ND	0.05-1000 mg/l

These standards are subject to revision

*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark:* -NA

Analysed by
[Dr Mamta Pandey(SA)]

Authorized by
ARUNIMA BAJPAI Digitally signed by ARUNIMA
BAJPAL
Date: 2024.01.23 13:22:37 +05'30'
Dr Arunima Bajpai (ASO)

RAM Digitally signed by
RAM GOPAL
Date: 2024.01.23
13:22:49 +05'30'
GOPAL
Chief Environmental Officer
Central Laboratory

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT: WATER LABORATORY(GROUND WATER)

Ref No:24295639/CENTRAL/2024

Date:23/01/2024

1-Sample Location:Devnarayan Near Dr Bhikhu House(Sample No 2)

2-Address:Gudhrauli Fatehpur

3-District:Fatehpur

4-Sample Source:Handpump

5-Type of sample: Ground Water

6-Sample Collected By: Committee formed by DM

7-Odour: None

8-Quantity and Packing: Digested Sample in Plastic Bottle

9-Date of Sample Collection: 04/01/2024

10-Analysis Indented by: RO Allahabad

11-Date of sample receipt in Lab: 08/01/2024

Parameter	Unit	Standards Source: IS 10500:2012(2nd Rev.) Required Acceptable Limit	Results	Detection Range
Total Chromium, APHA 24th Ed. 3111-B: 2023	mg/l	0.05	0.0571	0.05-1000 mg/l

These standards are subject to revision

*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark:* -NA

Analysed by
[Dr Mamta Pandey(SA)]

Authorized by
ARUNIMA BAJPAI
Digitally signed by ARUNIMA
BAJPAI
Date: 2024.01.23 13:23:53 +05'30'
Dr Arunima Bajpai (ASO)

RAM
Digitally signed
by RAM GOPAL
Date: 2024.01.23
13:24:03 +05'30'
GOPAL
Chief Environmental Officer
Central Laboratory



CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 Building, No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT: WATER LABORATORY(GROUND WATER)

Ref No:24293431/CENTRAL/2024

Date:23/01/2024

1-Sample Location:Shravan Near Dr Pingal House (Sample No 3)

2-Address:Gudhrauli Fatehpur

3-District:Fatehpur

4-Sample Source:Handpump

5-Type of sample: Ground Water

6-Sample Collected By: Committee formed by DM

7-Odour: None

8-Quantity and Packing: Digested Sample in Plastic Bottle

9-Date of Sample Collection: 04/01/2024

10-Analysis Indented by: RO Allahabad

11-Date of sample receipt in Lab: 08/01/2024

Parameter	Unit	Standards Source: IS 10500:2012(2nd Rev.) Required Acceptable Limit	Results	Detection Range
Total Chromium, APHA 24th Ed. 3111-B: 2023	mg/l	0.05	ND	0.05-1000 mg/l

These standards are subject to revision

*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested. 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark:* -NA

Analysed by
[Dr Mamta Pandey(SA)]

Authorized by
 Digitally signed by ARUNIMA
ARUNIMA BAJPAI
 Dr Arunima Bajpai (ASO)
BAJPAL
 Date: 2024.01.23 13:05:20 +05'30'

RAM
GOPAL
 Chief Environmental Officer
 Central Laboratory
Digitally signed by
 RAM GOPAL
 Date: 2024.01.23
 13:05:31 +05'30'

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT: WATER LABORATORY(GROUND WATER)

Ref No:24294179/CENTRAL/2024

Date:23/01/2024

1-Sample Location:Harimohan Near Dr Udaynarayan House (Sample No 4))

2-Address:Gudhrauli Fatehpur

3-District:Fatehpur

4-Sample Source:Handpump

5-Type of sample: Ground Water

6-Sample Collected By: Committee formed by DM

7-Odour: None

8-Quantity and Packing: Digested Sample in Plastic Bottle

9-Date of Sample Collection: 04/01/2024

10-Analysis Indented by: RO Allahabad

11-Date of sample receipt in Lab: 08/01/2024

Parameter	Unit	Standards Source: IS 10500:2012(2nd Rev.) Required Acceptable Limit	Results	Detection Range
Total Chromium, APHA 24th Ed. 3111-B: 2023	mg/l	0.05	0.5649	0.05-1000 mg/l

These standards are subject to revision

*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark:* -NA

Analysed by
[Dr Mamta Pandey(SA)]

Authorized by
ARUNIMA BAJPAI Digitally signed by ARUNIMA
BAJPAI
Date: 2024.01.23 13:09:55 +05'30'
Dr Arunima Bajpai (ASO)

RAM Digitally signed
by RAM GOPAL
Date: 2024.01.23
13:10:16 +05'30'
GOPAL
Chief Environmental Officer
Central Laboratory



CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 Building, No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT: WATER LABORATORY(GROUND WATER)

Ref No: 24294292/CENTRAL/2024

Date: 23/01/2024

- 1- Sample Location: Prithwipal Near Dr Jhallu House (Sample No 5)
- 2- Address: Gudhrauli Fatehpur
- 3- Distirct: Fatehpur
- 4- Sample Source: Handpump
- 5- Type of sample : Ground Water
- 6- Sample Collected By : Committee formed by DM
- 7- Odour : None
- 8- Quantity and Packing : Digested Sample in Plastic Bottle
- 9- Date of Sample Collection : 04/01/2024
- 10- Analysis Indented by : RO Allahabad
- 11- Date of sample receipt in Lab : 08/01/2024

Parameter	Unit	Standards Source: IS 10500:2012(2nd Rev.) Required Acceptable Limit	Results	Detection Range
Total Chromium, APHA 24th Ed. 3111-B: 2023	mg/l	0.05	5.5047	0.05-1000 mg/l

These standards are subject to revision

*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested; 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark:* - NA

Analysed by
[Dr Mamta Pandey(SA)]

Authorized by
ARUNIMA BAJPAI
Dr Arunima Bajpai (ASO)

Digitally signed by ARUNIMA
BAJPAL
Date: 2024.01.23 13:14:28 +05'30'

RAM
GOPAL
Chief Environmental Officer
Central Laboratory

Digitally signed
by RAM GOPAL
Date: 2024.01.23
13:14:39 +05'30'

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 Building, No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT: WATER LABORATORY(GROUND WATER)

Ref No:24294397/CENTRAL/2024

Date:23/01/2024

1-Sample Location:RamdulariW/ Near Jangbahadur House (Sample No 6))

2-Address:Gudhrauli Fatehpur

3-District:Fatehpur

4-Sample Source:Handpump

5-Type of sample: Ground Water

6-Sample Collected By: Committee formed by DM

7-Odour: None

8-Quantity and Packing: Digested Sample in Plastic Bottle

9-Date of Sample Collection: 04/01/2024

10-Analysis Indented by: RO Allahabad

11-Date of sample receipt in Lab: 08/01/2024

Parameter	Unit	Standards Source: IS 10500:2012(2nd Rev.) Required Acceptable Limit	Results	Detection Range
Total Chromium, APHA 24th Ed. 3111-B: 2023	mg/l	0.05	8.8286	0.05-1000 mg/l

These standards are subject to revision

*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested; 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory; 3. The test report pertains to the sample as received in Lab

Remark:* -NA

Analysed by
[Dr Mamta Pandey(SA)]

Authorized by
ARUNIMA BAJPAI Digitally signed by ARUNIMA
BAJPAI
Date: 2024.01.23 13:18:00 +05'30'
Dr Arunima Bajpai (ASO)

RAM
GOPAL Digitally signed
by RAM GOPAL
Date: 2024.01.23
13:18:12 +05'30'
Chief Environmental Officer
Central Laboratory

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 Building, No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT: WATER LABORATORY(GROUND WATER)

Ref No:24295077/CENTRAL/2024

Date:23/01/2024

1-Sample Location:Sriram Near Dr Madai House (Sample No 7)

2-Address:Gudhrauli Fatehpur

3-District:Fatehpur

4-Sample Source:Handpump

5-Type of sample: Ground Water

6-Sample Collected By: Committee formed by DM

7-Odour: None

8-Quantity and Packing: Digested Sample in Plastic Bottle

9-Date of Sample Collection: 04/01/2024

10-Analysis Indented by: RO Allahabad

11-Date of sample receipt in Lab: 08/01/2024

Parameter	Unit	Standards Source: IS 10500:2012(2nd Rev.) Required Acceptable Limit	Results	Detection Range
Total Chromium, APHA 24th Ed. 3111-B: 2023	mg/l	0.05	0.0110	0.05-1000 mg/l

These standards are subject to revision

*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested; 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory; 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark:* -NA

Analysed by
[Jyoti Tiwari (SA)]

Authorized by
ARUNIMA BAJPAI Digitally signed by ARUNIMA BAJPAI
Date: 2024.01.23 12:09:53 +05'30'
Dr Arunima Bajpai (ASO)

RAM
GOPAL Digitally signed
by RAM GOPAL
Date: 2024.01.23
13:20:05 +05'30'
Chief Environmental Officer
Central Laboratory



CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 Building, No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT: WATER LABORATORY(GROUND WATER)

Ref No:24295175/CENTRAL/2024

Date:23/01/2024

1-Sample Location:Prakash Near Dr Sauni House (Sample No 8)

2-Address:Gudhrauli Fatehpur

3-District:Fatehpur

4-Sample Source:Handpump

5-Type of sample: Ground Water

6-Sample Collected By: Committee formed by DM

7-Odour: None

8-Quantity and Packing: Digested Sample in Plastic Bottle

9-Date of Sample Collection: 04/01/2024

10-Analysis Indented by: RO Allahabad

11-Date of sample receipt in Lab: 08/01/2024

Parameter	Unit	Standards Source: IS 10500:2012(2nd Rev.) Required Acceptable Limit	Results	Detection Range
Total Chromium, APHA 24th Ed. 3111-B: 2023	mg/l	0.05	ND	0.05-1000 mg/l

These standards are subject to revision

*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark:* -NA

Analysed by
[Jyoti Tiwari (SA)]

Authorized by
ARUNIMA BAJPAI Digitally signed by ARUNIMA
BAJPAI
Date: 2024.01.23 13:21:17 +05'30'
Dr Arunima Bajpai (ASO)

RAM Digitally signed by
RAM GOPAL
Date: 2024.01.23
13:21:30 +05'30'
GOPAL
Chief Environmental Officer
Central Laboratory

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT: WATER LABORATORY(GROUND WATER)

Ref No:24295226/CENTRAL/2024

Date:24/01/2024

1-Sample Location:Near Budhya Talab (Sample No 9)

2-Address:Gudhrauli Fatehpur

3-District:Fatehpur

4-Sample Source:Handpump

5-Type of sample: Ground Water

6-Sample Collected By: Committee formed by DM

7-Odour: None

8-Quantity and Packing: Digested Sample in Plastic Bottle

9-Date of Sample Collection: 04/01/2024

10-Analysis Indented by: RO Allahabad

11-Date of sample receipt in Lab: 08/01/2024

Parameter	Unit	Standards Source: IS 10500:2012(2nd Rev.) Required Acceptable Limit	Results	Detection Range
Total Chromium, APHA 24th Ed. 3111-B: 2023	mg/l	0.05	ND	0.05-1000 mg/l

These standards are subject to revision

*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark:* -NA

Analysed by
[Jyoti Tiwari (SA)]

Authorized by
ARUNIMA BAJPAI
Dr Arunima Bajpai (ASO)

Digitally signed by ARUNIMA
BAJPAI
Date: 2024.01.24 13:24:36 +05'30'

RAM
GOPAL
Chief Environmental Officer
Central Laboratory

Digitally signed
by RAM GOPAL
Date: 2024.01.24
13:24:48 +05'30'

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 Building, No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT: WATER LABORATORY(GROUND WATER)

Ref No:24295467/CENTRAL/2024

Date:24/01/2024

1-Sample Location:Near Sheetla mata Mandir (Sample No 10)

2-Address:Gudhrauli Fatehpur

3-District:Fatehpur

4-Sample Source:Handpump

5-Type of sample: Ground Water

6-Sample Collected By: Committee formed by DM

7-Odour: None

8-Quantity and Packing: Digested Sample in Plastic Bottle

9-Date of Sample Collection: 04/01/2024

10-Analysis Indented by: RO Allahabad

11-Date of sample receipt in Lab: 08/01/2024

Parameter	Unit	Standards Source: IS 10500:2012(2nd Rev.) Required Acceptable Limit	Results	Detection Range
Total Chromium, APHA 24th Ed. 3111-B: 2023	mg/l	0.05	14.0915	0.05-1000 mg/l

These standards are subject to revision

*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested; 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark:* -NA

Analysed by
[Jyoti Tiwari (SA)]

Authorized by
ARUNIMA BAJPAI
Dr Arunima Bajpai (ASO)

Digitally signed by ARUNIMA
BAJPAL
Date: 2024.01.24 13:23:10 +05'30'

RAM
GOPAL
Chief Environmental Officer
Central Laboratory

Digitally signed
by RAM GOPAL
Date: 2024.01.24
13:23:23 +05'30'

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT: WATER LABORATORY(GROUND WATER)

Ref No:24295369/CENTRAL/2024

Date:24/01/2024

1-Sample Location:Ajay Shukla Near Dr Ram Kumar Shukl (Sample No 11)

2-Address:Gudhrauli Fatehpur

3-District:Fatehpur

4-Sample Source:Handpump

5-Type of sample: Ground Water

6-Sample Collected By: Committee formed by DM

7-Odour: None

8-Quantity and Packing: Digested Sample in Plastic Bottle

9-Date of Sample Collection: 04/01/2024

10-Analysis Indented by: RO Allahabad

11-Date of sample receipt in Lab: 08/01/2024

Parameter	Unit	Standards Source: IS 10500:2012(2nd Rev.) Required Acceptable Limit	Results	Detection Range
Total Chromium, APHA 24th Ed. 3111-B: 2023	mg/l	0.05	3.3349	0.05-1000 mg/l

These standards are subject to revision

*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested; 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark:* -NA

Analysed by
[Jyoti Tiwari (SA)]

Authorized by
ARUNIMA BAJPAI Digitally signed by ARUNIMA
BAJPAI
Date: 2024.01.24 13:21:09 +05'30'
Dr Arunima Bajpai (ASO)

RAM
GOPAL Digitally signed
by RAM GOPAL
Date: 2024.01.24
13:21:29 +05'30'
Chief Environmental Officer
Central Laboratory

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आवास विकास परिषद कालोनी, रोक्टर-10, योजना संख्या-3, प्रयागराज - 221506
Email-roprayagraj@uppcb.in

संदर्भ सं० 6100864/सं०-270/2024

दिनांक 6/01/2024

सेवा में

1. मेसर्स मधुचन्द्रा टेक्नोकेम चौडगरा, फतेहपुर।
2. मेसर्स एसोशिएट्स केमिकल्स ववर्स रहसूपुर, फतेहपुर।
3. मेसर्स आशियाना केमिकल्स, रहसूपुर, फतेहपुर।
4. मेसर्स आशमा केमिकल्स, रहसूपुर, फतेहपुर।

विषय: बेसिक कोम सल्फेट इकाईयों से जनित हैजार्डस अपशिष्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करें। अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदया फतेहपुर द्वारा उपजिलाधिकारी बिन्दकी, खण्ड विकास अधिकारी, मलवाँ, उपायुक्त उद्योग, जल निगम एवं इस कार्यालय के प्रतिनिधियों के साथ ग्राम गुधरौली में पेयजल की सगरया के संबंध में निरीक्षण दिनांक 04.01.2024 को किया गया, जिसमें ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम गुधरौली के आसपास संचालित बेसिक कोम सल्फेट का उत्पादन करने वाली इकाईयों द्वारा विगत 15-20 वर्ष पूर्व अपने उद्योग से जनित हैजार्डस वेस्ट को गाँव के आसपास निचली भूमि एवं सड़क के किनारे खाली स्थानों पर डमप कर दिया गया, जिससे हैण्डपम्पों से निकलने वाला जल प्रदूषित हो गया है। ग्राम गुधरौली के हैण्डपम्प से एकत्रित नमूनों में प्रदूषणकारी प्रचालकों की जाँच हेतु प्रयोगशाला को संदर्भित कर दी गयी है। निरीक्षण के दौरान ग्राम गुधरौली के पास लिंक रोड पर काफी मात्रा में पूर्व में डम्प किया गया अपशिष्ट पाया गया जो कि प्रथम दृष्टया बेसिक कोम सल्फेट इकाईयों से जनित हैजार्डस अपशिष्ट प्रतीत होता है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त डम्प किये गये हैजार्डस अपशिष्ट को नियमानुसार टीएसडीएफ के माध्यम से निस्तारित कराते हुए अनुपालन आख्या इस कार्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें, अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जिस हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,




(आर०के० सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. उपजिलाधिकारी बिन्दकी, फतेहपुर।



क्षेत्रीय अधिकारी





संदर्भ सं०
Ref. No

1106249
C-2/NG17-46/24

31
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक
Date 29/11/24

सेवा में,

मैसर्स एसोसियेटेड केमिकल वर्क्स,
रहसूपुर, बिन्दकी,
फतेहपुर।

यह कि माननीय एन0जी0टी0 द्वारा Original Application No.528/2023 In re: news report published in Dainik Jagran dated 14.08.2023 "highlights a growing concern regarding industrial pollution in the Godhrauli village" के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 29.11.2023 के अनुपालन के संदर्भ में क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज के पत्र दिनांक 18.01.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि जिलाधिकारी फतेहपुर द्वारा उपजिलाधिकारी बिन्दकी, खण्ड विकास अधिकारी, मलवाँ, उपायुक्त उद्योग, जल निगम एवं क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज के प्रतिनिधियों के साथ ग्राम गुधरौली में पेयजल की समस्या के संबंध में निरीक्षण दिनांक 04.01.2024 को किया गया। जिसमें ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम गुधरौली के आसपास संचालित बेसिक कोम सल्फेट का उत्पादन करने वाली इकाइयों द्वारा विगत 15-20 वर्ष पूर्व अपने उद्योग से जनित हैजार्डस वेस्ट को गांव के आसपास निचली भूमि एवं सड़क के किनारे खाली स्थानों पर डम्प कर दिया गया, जिससे हैण्डपम्प से निकलने वाला जल प्रदूषित हो गया है। ग्राम गुधरौली स्थित विभिन्न हैण्डपम्प से एकत्रित नमूनों में प्रदूषणकारी प्रचालकों की जांच हेतु नमूनें केन्द्रीय प्रयोगशाला, लखनऊ को प्रेषित किया गया। केन्द्रीय प्रयोगशाला से प्राप्त उक्त नमूनों की विश्लेषण आख्यानानुसार उक्त क्षेत्र में असुरक्षित रूप से कोमियम वेस्ट के निस्तारण के कारण उक्त क्षेत्र में भूगर्भीय जल कन्टामिनेटेड पाया गया है।

यह कि संयुक्त निरीक्षण के दौरान ग्राम गुधरौली के पास लिंक रोड पर काफी मात्रा में पूर्व में डम्प किया गया अपशिष्ट पाया गया जोकि प्रथम दृष्टया बेसिक कोम सल्फेट इकाइयों से जनित हैजार्डस अपशिष्ट प्रतीत हुआ। उद्योग अपशिष्ट के नियमानुसार निस्तारण हेतु जनपद फतेहपुर में पूर्व से स्थापित एवं तत्समय संचालित बेसिक कोम सल्फेट का उत्पादन करने वाली चार इकाइयों कमशः मैसर्स मधुचन्द्रा टेक्नोकैम चौडगरा, फतेहपुर, मैसर्स एसोसियेटेड केमिकल्स वर्क्स रहसूपुर, फतेहपुर, मैसर्स आशियाना केमिकल्स, रहसूपुर, फतेहपुर, मैसर्स आशमा केमिकल्स रहसूपुर, फतेहपुर को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 06.01.2024 के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया गया था, किन्तु उपरोक्त आपकी इकाइयों के विरुद्ध असुरक्षित रूप से परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण किये जाने के कारण पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा परिसंकटमय व अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित किये जाने के सम्बंध में गाइडलाइन जारी की गयी है, जिसमें निम्न प्राविधान हैं :-

$$\text{Environmental Compensation (EC)} = Q \times \text{ERF} \times R$$

Where

Q = noticed or observed quantity (in tonne) of hazardous or other wastes which have not been managed in compliance with various provisions of the Acts/Rules/Guidelines/conditions of the authorization/directions issued by CPCB/SPCB/PCC/MoEF&CC (barring procedural violations which have not caused environmental damage)

ERF = Environmental Risk Factor which is a number (as given in Table 1 below) denoting the increasing degree of risk to the environmental and human health due to the scenarios as given in the table:-

S.No.	Violation	ERF	
		For Hazardous Waste	For Other waste *
1	When hazardous and other wastes is disposed at unauthorized place or handed over or sold to unauthorized party	1.5	0.3

.....2/-

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

2	When treatment has not been imparted, as required, but only partial treatment has been given (TSD/Actual user)	1.0	0.2
3	When product (derived from hazardous or other waste) is not conforming to prescribed specification or is specified for restricted use but sold in open market against (in case of actual user)	1.0	0.2
4	Waste found stored beyond the stipulated period (refer Rule 8 of the HoWM Rules, 2008)	0.1	0.05

Application to waste generated indigenously only.

R= Environmental Compensation Factor, which may be taken as Rs. 30,000.

अतः पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति $EC = Q$ (Quantity of Waste in Tonne) \times ERF \times R
 $=$ Quantity of Waste in Tonne \times 1.5 \times 30,000
 $=$ Quantity of Waste in Tonne \times 45,000

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज के पत्र दिनांक 18.01.2024 द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न मैसर्स एसोसियेटेड केमिकल वर्क्स, रहसूपुर, विन्दकी, फतेहपुर द्वारा ग्राम गुधरौली, जनपद फतेहपुर में असुरक्षित रूप से कोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु Polluter Pays Principle के आधार पर रुपये 45,000/- प्रति टन कोमियम वेस्ट की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। कृपया नोट करें कि उक्त नोटिस में प्रदत्त 15 दिन की समयावधि में प्रतिउत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक प्रतिउत्तर न होने की स्थिति में Polluter Pays Principle के आधार पर इकाई द्वारा संचालन के दौरान जनित वेस्ट को उक्त स्थल पर डम्प किये जाने के दृष्टिगत इकाई पर एवं इकाई के उत्तरदायी व्यक्तियों पर रुपये 45,000/- प्रति टन कोमियम वेस्ट की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, फतेहपुर ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए कारण बताओ नोटिस के संबंध में आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या निर्धारित समयावधि में बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० H06947
Ref. No. C-2/NGR-46/24

दिनांक
Date 29/01/24

सेवा में,

मैसर्स मधुचन्द्रा टेक्नोकॉम काम्पलेक्स प्रा०लि०,
ग्राम गुधरौली, पोस्ट-औंग, जी०टी० रोड,
फतेहपुर।

यह कि माननीय एन०जी०टी० द्वारा Original Application No.528/2023 In re: news report published in Dainik Jagran dated 14.08.2023 "highlights a growing concern regarding industrial pollution in the Godhrauli village" के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 29.11.2023 के अनुपालन के संदर्भ में क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज के पत्र दिनांक 18.01.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि जिलाधिकारी फतेहपुर द्वारा उपजिलाधिकारी बिन्दकी, खण्ड विकास अधिकारी, मलवों, उपायुक्त उद्योग, जल निगम एवं क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज के प्रतिनिधियों के साथ ग्राम गुधरौली में पेयजल की समस्या के संबंध में निरीक्षण दिनांक 04.01.2024 को किया गया। जिसमें ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम गुधरौली के आसपास संचालित वेसिक कोम सल्फेट का उत्पादन करने वाली इकाइयों द्वारा विगत 15-20 वर्ष पूर्व अपने उद्योग से जनित हैजार्डस वेस्ट को गांव के आसपास निचली भूमि एवं सड़क के किनारे खाली स्थानों पर डम्प कर दिया गया, जिससे हैण्डपम्प से निकलने वाला जल प्रदूषित हो गया है। ग्राम गुधरौली स्थित विभिन्न हैण्डपम्प से एकत्रित नमूनों में प्रदूषणकारी प्रचालकों की जांच हेतु नमूनें केन्द्रीय प्रयोगशाला, लखनऊ को प्रेषित किया गया। केन्द्रीय प्रयोगशाला से प्राप्त उक्त नमूनों की विश्लेषण आख्यानानुसार उक्त क्षेत्र में असुरक्षित रूप से कोमियम वेस्ट के निस्तारण के कारण उक्त क्षेत्र में भूगर्भीय जल कन्टामिनेटेड पाया गया है।

यह कि संयुक्त निरीक्षण के दौरान ग्राम गुधरौली के पास लिंक रोड पर काफी मात्रा में पूर्व में डम्प किया गया अपशिष्ट पाया गया जोकि प्रथम दृष्टया वेसिक कोम सल्फेट इकाइयों से जनित हैजार्डस अपशिष्ट प्रतीत हुआ। उद्योग अपशिष्ट के नियमानुसार निस्तारण हेतु जनपद फतेहपुर में पूर्व से स्थापित एवं तत्समय संचालित वेसिक कोम सल्फेट का उत्पादन करने वाली चार इकाइयों कमशः मैसर्स मधुचन्द्रा टेक्नोकॉम चौडगरा, फतेहपुर मैसर्स एसोसियेटेड केमिकल्स वर्क्स रहसूपुर, फतेहपुर, मैसर्स आशियाना केमिकल्स, रहसूपुर, फतेहपुर, मैसर्स आशमा केमिकल्स रहसूपुर, फतेहपुर को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 06.01.2024 के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया गया था, किन्तु उपरोक्त अपशिष्ट का अभी तक निस्तारण नहीं किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज के पत्र दिनांक 18.01.2024 द्वारा आपकी इकाइयों के विरुद्ध असुरक्षित रूप से परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण किये जाने के कारण पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा परिसंकटमय व अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित किये जाने के सम्बंध में गाइडलाइन जारी की गयी है, जिसमें निम्न प्राविधान हैं :-

Environmental Compensation (EC)=Q x ERF x R

Where

Q = noticed or observed quantity (in tonne) of hazardous or other wastes which have not been managed in compliance with various provisions of the Acts/Rules/Guidelines/conditions of the authorization/directions issued by CPCB/SPCB/PCC/MoEF&CC (barring procedural violations which have not caused environmental damage)

ERF =Environmental Risk Factor which is a number (as given in Table 1 below) denoting the increasing degree of risk to the environmental and human health due to the scenarios as given in the table:-

S.No.	Violation	ERF	
		For Hazardous Waste	For Other waste *
1	When hazardous and other wastes is disposed at unauthorized place or handed over or sold to unauthorized party	1.5	0.3

.....2/-

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in

2	When treatment has not been imparted, as required, but only partial treatment has been given (TSDF/Actual user)	1.0	0.2
3	When product (derived from hazardous or other waste) is not conforming to prescribed specification or is specified for restricted use but sold in open market against (in case of actual user)	1.0	0.2
4	Waste found stored beyond the stipulated period (refer Rule 8 of the HoWM Rules, 2008)	0.1	0.05

Application to waste generated indigenously only.

R= Environmental Compensation Factor, which may be taken as Rs. 30,000.

अतः पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति $EC = Q$ (Quantity of Waste in Tonne) \times ERF \times R
 $=$ Quantity of Waste in Tonne \times 1.5 \times 30,000
 $=$ Quantity of Waste in Tonne \times 45,000

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज के पत्र दिनांक 18.01.2024 द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न मैसर्स मधुचन्द्रा टेक्नोकेम काम्पलेक्स प्रा0लि0, ग्राम-गुधरौली, पोस्ट-आँग, जी0टी0 रोड, फतेहपुर द्वारा ग्राम गुधरौली, जनपद फतेहपुर में असुरक्षित रूप से कोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु Polluter Pays Principle के आधार पर रुपये 45,000/- प्रति टन कोमियम वेस्ट की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। कृपया नोट करें कि उक्त नोटिस में प्रदत्त 15 दिन की समावधि में प्रतिउत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक प्रतिउत्तर न होने की स्थिति में Polluter Pays Principle के आधार पर इकाई द्वारा संचालन के दौरान जनित वेस्ट को उक्त स्थल पर डम्प किये जाने के दृष्टिगत इकाई पर एवं इकाई के उत्तरदायी व्यक्तियों पर रुपये 45,000/- प्रति टन कोमियम वेस्ट की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, फतेहपुर ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए कारण बताओ नोटिस के संबंध में आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या निर्धारित समावधि में बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ सं०

Ref. No. H06244/C-2/NGT-46/24

दिनांक

Date 23/01/24

सेवा में,

मैसर्स आशियाना केमिकल्स प्रा०लि०,
रहसूपुर, बिन्दकी,
फतेहपुर।

यह कि माननीय एन०जी०टी० द्वारा Original Application No.528/2023 In re: news report published in Dainik Jagran dated 14.08.2023 "highlights a growing concern regarding industrial pollution in the Godhrauli village" के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 29.11.2023 के अनुपालन के संदर्भ में क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज के पत्र दिनांक 18.01.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि जिलाधिकारी फतेहपुर द्वारा उपजिलाधिकारी बिन्दकी, खण्ड विकास अधिकारी, मलवाँ, उपायुक्त उद्योग, जल निगम एवं क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज के प्रतिनिधियों के साथ ग्राम गुधरौली में पेयजल की समस्या के संबंध में निरीक्षण दिनांक 04.01.2024 को किया गया। जिसमें ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम गुधरौली के आसपास संचालित बेसिक कोम सल्फेट का उत्पादन करने वाली इकाइयों द्वारा विगत 15-20 वर्ष पूर्व अपने उद्योग से जनित हैजार्डस वेस्ट को गांव के आसपास निचली भूमि एवं राड़क के किनारे खाली स्थानों पर डम्प कर दिया गया, जिससे हैण्डपम्प से निकलने वाला जल प्रदूषित हो गया है। ग्राम गुधरौली स्थित विभिन्न हैण्डपम्प से एकत्रित नमूनों में प्रदूषणकारी प्रचालकों की जांच हेतु नमूनें केन्द्रीय प्रयोगशाला, लखनऊ को प्रेषित किया गया। केन्द्रीय प्रयोगशाला से प्राप्त उक्त नमूनों की विश्लेषण आख्यानसार उक्त क्षेत्र में असुरक्षित रूप से कोमियम वेस्ट के निस्तारण के कारण उक्त क्षेत्र में भूगर्भीय जल कन्टामिनेटेड पाया गया है।

यह कि संयुक्त निरीक्षण के दौरान ग्राम गुधरौली के पास लिंक रोड पर काफी मात्रा में पूर्व में डम्प किया गया अपशिष्ट पाया गया जोकि प्रथम दृष्टया बेसिक कोम सल्फेट इकाइयों से जनित हैजार्डस अपशिष्ट प्रतीत हुआ। उद्योग अपशिष्ट के नियमानुसार निस्तारण हेतु जनपद फतेहपुर में पूर्व से स्थित एवं तत्समय संचालित बेसिक कोम सल्फेट का उत्पादन करने वाली चार इकाइयों कमशः मैसर्स मधुचन्द्रा टेक्नोकेम चौडगरा, फतेहपुर, मैसर्स एसोसियेटेड केमिकल्स वर्क्स रहसूपुर, फतेहपुर, मैसर्स आशियाना केमिकल्स, रहसूपुर, फतेहपुर, मैसर्स आशमा केमिकल्स रहसूपुर, फतेहपुर को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 06.01.2024 के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया गया था, किन्तु उपरोक्त अपशिष्ट का अभी तक निस्तारण नहीं किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज के पत्र दिनांक 18.01.2024 द्वारा आपकी इकाइयों के विरुद्ध असुरक्षित रूप से परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण किये जाने के कारण पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा परिसंकटमय व अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित किये जाने के सम्बंध में गाइडलाइन जारी की गयी है, जिसमें निम्न प्राविधान हैं :-

Environmental Compensation (EC)=Q x ERF x R

Where

Q = noticed or observed quantity (in tonne) of hazardous or other wastes which have not been managed in compliance with various provisions of the Acts/Rules/Guidelines/conditions of the authorization/directions issued by CPCB/SPCB/PCC/MoEF&CC (barring procedural violations which have not caused environmental damage)

ERF =Environmental Risk Factor which is a number (as given in Table 1 below) denoting the increasing degree of risk to the environmental and human health due to the scenarios as given in the table:-

S.No.	Violation	ERF	
		For Hazardous Waste	For Other waste *
1	When hazardous and other wastes is disposed at unauthorized place or handed over or sold to unauthorized party	1.5	0.3

.....2/-

टी.सी. - 12 बी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.- 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

2	When treatment has not been imparted, as required, but only partial treatment has been given (TSDF/Actual user)	1.0	0.2
3	When product (derived from hazardous or other waste) is not conforming to prescribed specification or is specified for restricted use but sold in open market against (in case of actual user)	1.0	0.2
4	Waste found stored beyond the stipulated period (refer Rule 8 of the HoWM Rules, 2008)	0.1	0.05

Application to waste generated indigenously only.

R= Environmental Compensation Factor, which may be taken as Rs. 30,000.

अतः पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति $EC = Q$ (Quantity of Waste in Tonne) \times ERF \times R

= Quantity of Waste in Tonne \times 1.5 \times 30,000

= Quantity of Waste in Tonne \times 45,000

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज के पत्र दिनांक 18.01.2024 द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न मैसर्स आशियाना केमिकल्स प्रा०लि०, रहसूपुर, बिन्दकी, फतेहपुर द्वारा ग्राम गुधरौली, जनपद फतेहपुर में असुरक्षित रूप से कोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु Polluter Pays Principle के आधार पर रुपये 45,000/- प्रति टन कोमियम वेस्ट की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। कृपया नोट करें कि उक्त नोटिस में प्रदत्त 15 दिन की समयावधि में प्रतिउत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक प्रतिउत्तर न होने की स्थिति में Polluter Pays Principle के आधार पर इकाई द्वारा संचालन के दौरान जनित वेस्ट को उक्त स्थल पर डम्प किये जाने के दृष्टिगत इकाई पर एवं इकाई के उत्तरदायी व्यक्तियों पर रुपये 45,000/- प्रति टन कोमियम वेस्ट की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, फतेहपुर ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए कारण बताओ नोटिस के संबंध में आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या निर्धारित समयावधि में बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

37

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ सं०

Ref. No. H.06248/C-2/NGT-46/24

दिनांक

Date 29/01/24

सेवा में,

मैसर्स आशमा केमिकल्स प्रा०लि०,
रहसूपुर, विन्दीकी,
फतेहपुर।

यह कि माननीय एन०जी०टी० द्वारा Original Application No.528/2023 In re: news report published in Dainik Jagran dated 14.08.2023 "highlights a growing concern regarding industrial pollution in the Godhrauli village" के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 29.11.2023 के अनुपालन के संदर्भ में क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज के पत्र दिनांक 18.01.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि जिलाधिकारी फतेहपुर द्वारा उपजिलाधिकारी विन्दीकी, खण्ड विकास अधिकारी, मलवाँ, उपायुक्त उद्योग, जल निगम एवं क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज के प्रतिनिधियों के साथ ग्राम गुधरौली में पेयजल की समस्या के संबंध में निरीक्षण दिनांक 04.01.2024 को किया गया। जिसमें ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम गुधरौली के आसपास संचालित बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन करने वाली इकाइयों द्वारा विगत 15-20 वर्ष पूर्व अपने उद्योग से जनित हैजार्डस वेस्ट को गांव के आसपास निचली भूमि एवं सड़क के किनारे खाली स्थानों पर डम्प कर दिया गया, जिससे हैण्डपम्प से निकलने वाला जल प्रदूषित हो गया है। ग्राम गुधरौली स्थित विभिन्न हैण्डपम्प से एकत्रित नमूनों में प्रदूषणकारी प्रचालकों की जांच हेतु नमूने केन्द्रीय प्रयोगशाला, लखनऊ को प्रेषित किया गया। केन्द्रीय प्रयोगशाला से प्राप्त उक्त नमूनों की विश्लेषण आख्यानानुसार उक्त क्षेत्र में असुरक्षित रूप से कोमियम वेस्ट के निस्तारण के कारण उक्त क्षेत्र में भूगर्भीय जल कन्टामिनेटेड पाया गया है।

यह कि संयुक्त निरीक्षण के दौरान ग्राम गुधरौली के पास लिंक रोड पर काफी मात्रा में पूर्व में डम्प किया गया अपशिष्ट पाया गया जोकि प्रथम दृष्टया बेसिक क्रोम सल्फेट इकाइयों से जनित हैजार्डस अपशिष्ट प्रतीत हुआ। उद्योग अपशिष्ट के नियमानुसार निस्तारण हेतु जनपद फतेहपुर में पूर्व से स्थित एवं तत्समय संचालित बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन करने वाली चार इकाइयों क्रमशः मैसर्स मधुचन्द्रा टेक्नोकैम चौडगरा, फतेहपुर, मैसर्स एसोसियेटेड केमिकल्स वर्क्स रहसूपुर, फतेहपुर, मैसर्स आशियाना केमिकल्स, रहसूपुर, फतेहपुर, मैसर्स आशमा केमिकल्स रहसूपुर, फतेहपुर को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 06.01.2024 के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया गया था, किन्तु उपरोक्त आपकी इकाइयों के विरुद्ध असुरक्षित रूप से परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण किये जाने के कारण पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा परिसंकटमय व अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित किये जाने के सम्बंध में गाइडलाइन जारी की गयी है, जिसमें निम्न प्राविधान हैं :-

$$\text{Environmental Compensation (EC)} = Q \times \text{ERF} \times R$$

Where

Q = noticed or observed quantity (in tonne) of hazardous or other wastes which have not been managed in compliance with various provisions of the Acts/Rules/Guidelines/conditions of the authorization/directions issued by CPCB/SPCB/PCC/MoEF&CC (barring procedural violations which have not caused environmental damage)

ERF = Environmental Risk Factor which is a number (as given in Table 1 below) denoting the increasing degree of risk to the environmental and human health due to the scenarios as given in the table:-

S.No.	Violation	ERF	
		For Hazardous Waste	For Other waste *
1	When hazardous and other wastes is disposed at unauthorized place or handed over or sold to unauthorized party	1.5	0.3

.....2/-

टी.सी. - 12 वी, किंग्जि खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

2	When treatment has not been imparted, as required, but only partial treatment has been given (TSD/Actual user)	1.0	0.2
3	When product (derived from hazardous or other waste) is not conforming to prescribed specification or is specified for restricted use but sold in open market against (in case of actual user)	1.0	0.2
4	Waste found stored beyond the stipulated period (refer Rule 8 of the HoWM Rules, 2008)	0.1	0.05

Application to waste generated indigenously only.

R= Environmental Compensation Factor, which may be taken as Rs. 30,000.

अतः पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति $EC = Q \text{ (Quantity of Waste in Tonne)} \times ERF \times R$
 $= \text{Quantity of Waste in Tonne} \times 1.5 \times 30,000$
 $= \text{Quantity of Waste in Tonne} \times 45,000$

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज के पत्र दिनांक 18.01.2024 द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न मैसर्स आशमा केमिकल्स प्रा०लि०, रहसूपुर, विन्दकी, फतेहपुर द्वारा ग्राम गुधरौली, जनपद फतेहपुर में असुरक्षित रूप से कोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु Polluter Pays Principle के आधार पर रूपये 45,000/- प्रति टन कोमियम वेस्ट की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। कृपया नोट करें कि उक्त नोटिस में प्रदत्त 15 दिन की समयावधि में प्रतिउत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक प्रतिउत्तर न होने की स्थिति में Polluter Pays Principle के आधार पर इकाई द्वारा संचालन के दौरान जनित वेस्ट को उक्त स्थल पर डम्प किये जाने के दृष्टिगत इकाई पर एवं इकाई के उत्तरदायी व्यक्तियों पर रूपये 45,000/- प्रति टन कोमियम वेस्ट की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, फतेहपुर ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए कारण बताओ नोटिस के संबंध में आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या निर्धारित समयावधि में बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रेषक,

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
प्रयागराज

पत्रांक-रा०स्वा०सं०/एन०जी०टी०/२०२३-२४/८५६२-६९ दिनांक ०१-०२-२०२४

विषय- मा० एन०जी०टी० में दायर ओ०ए० सं०-५२८/२०२३ में पारित आदेश दिनांक-२१.०८.२०२३ के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं०-G00817/QA.No.528/2023 दिनांक-२०.१२.२०२३ एवं निदेशक स्वास्थ्य के पृष्ठांकन पत्र दिनांक-०४.०१.२०२४ के क्रम में चाही गई सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी फतेहपुर के पत्रांक-मु०चि०अ०/पेपर कटिंग/जांच आख्या/२०२३-२४/५२७५ दिनांक-२७.०१.२०२४ (छायाप्रति संलग्न) जो अधोहस्ताक्षरी को आज दिनांक-०१.०२.२०२४ को प्राप्त हुआ है, की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान,
उ०प्र०, लखनऊ।

पृ०संख्या- रा०स्वा०सं०/एन०जी०टी०/२०२३-२४/ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- १-महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन उ०प्र० लखनऊ।
- २-निदेशक(स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ०प्र० लखनऊ।
- ३-अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण लखनऊ मण्डल लखनऊ।

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान,
उ०प्र०, लखनऊ।

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
फतेहपुर

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
उ०प्र० लखनऊ

पत्राक :- मु०चि०३१०/पेपर कटिंग/जांच आख्या/2023-24/5275 दिनांक 27.01.2024
विषय-ग्राम गोधरौली ब्लाक मलवां जनपद फतेहपुर में रोगों की वारिंताधिक स्थिति के आकलन हेतु गठित
टीम द्वारा प्रेषित जॉच आख्या।

महोदय

दिनांक 24.01.2024 को ग्राम गोधरौली ब्लाक मलवां जनपद फतेहपुर का गठित टीम ने भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान ग्रामवासियों का परीक्षण किया गया, जिनमें 13 व्यक्तियों में लिम्ब स्वैलिंग पायी गयी। प्रभावितों से रोग की हिस्ट्री लेने एवं मुआयना करने पर सभी क्लिनिकल फाइलेरिया के रोगी प्रतीत हो रहे थे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के रोगी नहीं पाये गये। दिनांक 05.01.2024 से लगातार उक्त ग्राम में टीम भेजकर लोगों को रोग से बचाव सम्बन्धित जानकारी दी जा रही है। साफ-सफाई का कार्य ग्राम प्रधान के माध्यम से कराया जा रहा है। मलेरिया विभाग द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही भी करायी जा रही है। जिला प्रशासन के सहयोग से प्रभावित जल स्रोतों को बन्द करा दिया गया है, तथा पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था करा दी गयी है। सभी का रक्त नमूना सी०वी०सी०, कै०एफ०टी० एवं एल०एफ०टी० एकत्र कर जांच हेतु सामु०स्वा०केन्द्र बिन्दकी भेजा गया। दिनांक 16.01.2024 को पण्डलेरिया जांच हेतु बनायी गयी रक्त पट्टिकाये निगेटिव पायी गयी थी, जिनका सत्यापन वरिष्ठ प्रयोगशाला प्रविधिक द्वारा कराया जा रहा है। भ्रमण के दौरान पेयजल के स्रोतों का भी निरीक्षण किया गया, उक्त ग्राम में कुल 45 हैण्डपम्प स्थापित है, जिसमें 11 हैण्डपम्पों से निकलने वाले जल का रंग गहरा पीला पाया गया, जिसका वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है जिसमें रसायनिक तत्वों की उपस्थिति हो सकती है, जिसका भूजल विभाग द्वारा रसायनिक परीक्षण कराना उचित होगा।


मुख्य चिकित्साधिकारी
फतेहपुर

पत्राक :- मु०चि०३१०/पेपर कटिंग/जांच आख्या/2023-24

तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण, उत्तरी क्षेत्र, भूजल भवन रोपटर वी, सीतापुर रोड योजना राम राम बैंक चौराहा लखनऊ।
2. निदेशक, राज्य भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र० ग्राम हरिहरपुर, दिल्ली पब्लिक स्कूल शाहीद पथ लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रयागराज मण्डल प्रयागराज।
4. जिलाधिकारी, फतेहपुर।
5. अधिशासी अधिकारी जिला जल कल विभाग फतेहपुर।
6. कार्यालय प्रति।


मुख्य चिकित्साधिकारी
फतेहपुर